

संख्या: 3339/18-2-88
तारीख:

प्रेषक,

श्री सुशील मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

उद्योग अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 6 मई, 88

विषय:- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उद्यमिता
विकास संस्थान को "मोडल एजेन्सी" नामित करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि उद्यमिता
विकास संस्थान प्रदेश में कुशल उद्यमियों के विकास के उद्देश्य से की गई
है। उक्त संस्थान इस दिशा में प्रयासरत भी है। संस्थान के पास इस क्षेत्र
के विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। अतः उद्यमिता विकास संस्थान को उद्यमिता
विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु "मोडल एजेन्सी" नामित किया जाता है।

2. उपरोक्तानुसार संस्थान उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण
सामग्री, विशेषज्ञ आदि उपलब्ध करायेगा। विभिन्न संस्थाओं द्वारा
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय तथा अनुमोदन का कार्य भी करेगा।

3. साथ ही साथ यह भी कहना है कि संस्थान को अधिकतम प्रशिक्षण
कार्यक्रम अर्पित किये जायें।

भवदीय,

सुशील मोहन।
संयुक्त सचिव।

संख्या: 3339/18-2-88, तारीख: दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, ए-430,
इंदिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

सुशील मोहन।
संयुक्त सचिव।